

प्रश्न

श्री. अशोक रायगो,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तरांचल 2 संघ, केन्द्र,
प्रो. विद्यालय नई दिल्ली।

विधा 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 12 अगस्त, 1999

विषय:- दिल्ली पब्लिक स्कूल आगरा रोड अलीगढ़ को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल आगरा रोड अलीगढ़ को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है:-

1. विद्यालय की पूर्णकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघानित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा वैशिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/बी.एस.एस.ए. दि. एण्ड/एन. स्कूल सर्टिफिकेट इवजाक्रीशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतंत्रता प्राप्त हो जायेगी।
5. संस्था वैशिक एवं 'शिद्वेस्तार कर्मचारियों' को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।

Principal
Delhi Public School Aligarh
Near Gyan Mahavidhyalaya
Agra Road, Aligarh

Swapan
Pro. Vice Chairman
Delhi Public School
Agra Road, Aligarh

161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आशापीय उत्पन्न माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसंधान सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निगमित किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

181 विद्यालय का परिकल्पित नियमित प्रवर्धन/मंजिलगी में रखा जायेगा।

191 उत्पन्न अंतों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिचालन/संशोधन या परिचालन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि -

111 विद्यालय हेतु निजी भूमि/भवन की उपलब्ध व्यवस्था की जाय।

121 विद्यालय के अध्यक्षों/कर्मचारियों को वैधानिक संहिता, बुल पत्रिकाओं का भुगतान किया जाय तथा इंपीओएम योजना लागू किया जाय।

131 शासनादेश दिनांक 30-11-91 में उल्लिखित प्रतिबन्धों को सौभाग्यी बाधना में समाविष्ट कराया जाय।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक या शिथिलता यरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

मधुप

राज्य शासनादेश
संयुक्त सचिव

पुंरं 334611/15-7-1999 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़।
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय उओगो लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, दिल्ली (एन.ए.ए.) आगरा रोड अलीगढ़।

Principal
Delhi Public School Aligarh
Near Gyan Mahavidhyalaya
Agra Road, Aligarh

राज्य शासनादेश
संयुक्त सचिव

Swapani Jain
Pr. Vice-Chairman
Delhi Public School
Agra Road, Aligarh